धारा 39 : विवरणियां देना

[1][(1)] किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखतें हुए ऐसे प्रारूप, [2][रीति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए], जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रुप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विषिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रुप से राज्य या संघ राजयक्षेत्र में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा।]

[3][(3)] धारा 51 के अधीन, स्त्रोत पर कर कटौती के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,

---

1 वित्त (संख्याक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा उपधारा (1) और उपधारा (2) प्रतिस्थापित। अधिसूचिना क्रमांक 81/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा इसको दिनांक 10.11.2020 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (1) इस प्रकार थी :

"(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलैक्ट्रोनिक रूप में, माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, की विवरणी [A][.....] [B][ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए], देगा

[C][**परन्तु** सरकार परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अनुसूचित कर सकेगी जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए।

अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।]

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में का आवर्त किसी माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और संदत्त कर की विवरणी, ऐसी तिमाही की समाप्ति के पश्चात् अठारह दिन के भीतर इलैक्ट्रोनिक रूप में देगा।"

A. शब्द "ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व" सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा विलोपित।

B. सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा "ऐसे प्रारूप और रीति में जो विहित की जाए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

C. सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित।

2 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा "रीति और ऐसे समय के भीतर" के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

3 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा उपनियम (3) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (3) इस प्रकार थी :

प्रत्येक कलैंडर मास के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, मास के दौरान की गई कटौतियों की एक विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा :

परंतु उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास के लिए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा चाहे उक्त मास के दौरान कोई कटौतियां की गई हां अथवा नहीं।**]**

(4) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक कराधेय व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए, ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् तेरह दिन के भीतर इलैक्ट्रोनिक रूप में एक विवरणी देगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कराधेय व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, कलैंडर मास के अंत के पश्चात् [4][तेरह] दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर इनमें जो भी पूर्वतर हो, इलैक्ट्रॉनिक रूप में एक विवरणी देगा।

(6) आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

[5]**[(7)** प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस तारीख से पूर्व करेगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया

"**(3)** धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्त्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर एक विवरणी इलैक्ट्रोनिक रूप में देगा।"

4 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा शब्द "बीस" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

5 वित्त (संख्याक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा उपधारा (7) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 81/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा दिनांक 10.11.2020 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह उपधारा (7) इस प्रकार थी :

"**(7)** प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर, ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा।

[A]**[परंतु** सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपाय के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, ऐसी विवरणी के अनुसार, ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व सरकार को, शोध्य कर या उसके किसी भाग का संदाय करेंगे।**]**"

A सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम 2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित।

जाना अपेक्षित है :

[6]**[परन्तु** प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,–

(क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अवधारित रकम,

का संदाय करेगा:**]**

परन्तु यह और कि उपधारा (2) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखतें हुए, ऐसे प्रारूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।**]**

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई पूर्ति ऐसी कर अवधि के दौरान की गई है या नहीं।

(9)[7]**[**जहां**]** किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए, [8]**[**ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए**]** दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परन्तु [9]**[**ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, समाप्ति**]** के पश्चात् [10]**[**30 नवम्बर**]** या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख, इनमें जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की अंतिम तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

---

6 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''**परन्तु** उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखतें हुए, ऐसे प्रारूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा:''

7 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा ''धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

8 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) ''उस मास या तिमाही जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां सूचना में आई हैं'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है।

9 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''वित्तीय वर्ष की समाप्ति'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है।

10 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा ''सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए [11]**[**पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैः

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हों।**]**

[12]**[(11)** किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिये विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा :

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तो और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, कर अवधि के लिये विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरण को प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।**]**

उपयुक्त नियमः

नियम 61, नियम 61क,

नियम 63, नियम 64,

नियम 65, नियम 66,

नियम 67, 67क, 68

उपयुक्त प्रारूपः

प्रारूप जीएसटीआर–3,

प्रारूप जीएसटीआर–3क,

प्रारूप जीएसटीआर–3ख,

प्रारूप जीएसटीआर–5, जीएसटीआर–5क,

प्रारूप जीएसटीआर–6, जीएसटीआर–7,

प्रारूप जीएसटीआर–7क, जीएसटीआर–8

---

11 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा ''विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

12 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उपधारा (11) अंतःस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।